

न्यायालय-अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरौव

स्वत्व वाद सं० 266 / 2010

महेन्द्र नाथ मिश्रावादी।

बनाम्

रामबचन मिश्र वगै०..... प्रतिवादीगण।

आदेश

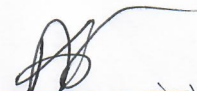
20.09.22

वादी अनुपस्थित है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी की ओर से आज भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में वादी विगत कई तिथियों से पैरवी नहीं कर रहा है। वाद अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है, जब कि वाद वर्ष 2010 से लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को और अधिक समय के लिए लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित


(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
सब जज प्रथम, डुमरौव।